प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन " मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011
Professional Examination Board
"Chayan Bhawan", Main Road No. 1, Chinar Park (East), Bhopal-462011
Phone: +91-755-2578801-02, W ebsite:peb.mp.gov.in

क्रमांक/PEB/3-1/22/4/ST/ 5670 /2022 भोपाल, दिनांक 15-9-22
प्रति,

....
....
....

विषयः–बोर्ड कार्यालय में स्थापित कोनिका मिनोल्टा, जिरोक्स इंडिया लि0 तथा रीको कम्पनी की फोटो कॉपीयर मशीनों में लगने वाले टोनर एवं ड्रम कार्टेज की दरें भेजने बावत्।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के कार्यालय में कोनिका मिनोल्टा, जिरोक्स इंडिया लि0 तथा रीको कम्पनी के विभिन्न मॉडल की फोटोकॉपीयर मशीनें स्थापित हैं। जिसके लिये समय–समय पर आवश्यकता के आधार पर टोनर एवं ड्रम कार्टेज क्रय किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	कम्पनी का नाम/मॉडल नं.	क्रय की जाने वाली सामग्री का नाम	एक वर्ष में लगने वाली अनुमानित संख्या
1	Konica Monalta Bizhub 215 Digital	Drum	03 Nos
		Toner	03 Nos
2	Konica Minolta Bizhub 211 Digital	Drum	10 Nos
		Toner	15 Nos
3	Xerox India Limited Model- 5022/5024	Drum	10 Nos
		Toner	20 Nos
4	Ricoh Photocopy Machine Model IM 2702 (Multifunction Printer)	Drum	10 Nos
		Toner	10 Nos

उपरोक्तानुसार फोटोकॉपियर मशीनों के लिये टोनर एवं ड्रम कार्टेज क्रय किये जाने हेतु Konica Monalta Limited, Xerox India एवं Ricoh कम्पनी के अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दरें (कोटेशन) मंगाये जाते है :–

1. उपरोक्तानुसार टोनर एवं ड्रम कार्टेज प्रतिनग फर्म की न्यूनतम दर संलग्न प्रारूप "अ" में फर्म के कवरिंग लेटर के साथ सीलबंद लिफाफे में दिनांक 06.10.2022 तक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन, मैन रोड नं.–1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011 पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक से दिनांक 06.10.2022 सायं 6.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये।

2. नियमानुसार (GST) देय होगा, इसका उल्लेख पृथक से करें।

3. उक्त निर्धारित तिथि दिनांक 06.10.2022 के पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

4. कोनिका मिनोल्टा, जिरोक्स तथा रीको कम्पनी के अधिकृत विक्रेता (Authorised Dealer) के वैध सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न न करने की स्थिति में दरें मान्य नहीं की जायेंगी। अधिकृत विक्रेता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का प्रमाणपत्र/पत्र मान्य नहीं होगा।

5. सीलबंद लिफाफे के ऊपर ''फोटोकॉपियर मशीनों के टोनर एवं ड्रम कार्टेज प्रदाय हेतु दरें'' अवश्य अंकित करें।

6. उपरोक्त तालिका में उल्लेखित टोनर एवं ड्रम कार्टेज की क्रय संख्या अनुमानित है। इस संख्या में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। टोनर एवं ड्रम कार्टेज का क्रय बोर्ड द्वारा आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर किया जायेगा। टोनर एवं ड्रम कार्टेज की गुणवत्ता अर्थात् प्रिंट सही नहीं होने तथा डेमेज पाये जाने पर फर्म को स्वयं के व्यय पर बोर्ड कार्यालय से वापस लेना होगा तथा उसके स्थान पर नवीन टोनर एवं ड्रम कार्टेज बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

7. टोनर एवं ड्रम कार्टेज का प्रदाय बोर्ड द्वारा जारी आदेश के पश्चात् एक सप्ताह में प्रदाय किया जाना होगा। विलंब से प्रदाय किये जाने पर प्रतिदिवस आदेशित राशि की 2 प्रतिशत पेनाल्टी अधिरोपित की जायेगी, जो कि प्रस्तुत देयक की कुल राशि में से कटौती की जायेगी।

8. फर्म द्वारा उक्त टोनर एवं ड्रम कार्टेज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की भण्डार शाखा में उपलब्ध कराया जाना होगा। बोर्ड द्वारा जी0एस0टी0 के अतिरिक्त अन्य प्रकार (लोडिंग, अनलोडिंग तथा आटो भाड़ा) का भुगतान नही किया जायेगा इसका भुगतान फर्म को स्वंय करना होगा।

9. फर्म/एजेंसी का जी.एस.टी. नम्बर तथा मोबाईल नम्बर संलग्न प्रपत्र ''अ'' में अंकित किया जाना अनिवार्य है अन्यथा फर्म का कोटेशन मान्य नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा भुगतान आर.टी.जी. एस. के माध्यम से किया जाएगा एवं फर्म को किसी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

10. फर्म द्वारा दी गई दरें बोर्ड द्वारा स्वीकृत दिनांक से एक वर्ष के लिये वैध रहेंगी। बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर उक्त स्वीकृत दरों पर टोनर एवं ड्रम कार्टेज क्रय किया जा सकता है। जिसके लिये उक्त स्वीकृत दरें मान्य होंगी अर्थात् उक्त स्वीकृत दर एक वर्ष के लिये वैध रहेंगी। स्वीकृत दरों में (एक वर्ष तक) किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। एक वर्ष उपरांत उक्त स्वीकृत/अनुमोदित दरें आपसी सहमति के आधार पर समयावधि बढ़ाई जा सकती हैं।

11. फर्म द्वारा अंकित अन्य कोई शर्ते मान्य नहीं होगी। कृपया शर्त अंकित न करें।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार शाखा)
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
भोपाल

प्रारूप "अ"

विषय:—बोर्ड कार्यालय में स्थापित कोनिका मिनोल्टा, जिरोक्स इंडिया लि0 तथा रीको कम्पनी की फोटो कॉपीयर मशीनों में लगने वाले टोनर एवं ड्रम कार्टेज की दरें देने के संबंध में।

S.N.	Model No.	Desription	Price Per Unit/No	GST	Price Per Unit with GST
1	Konica Monalta Bizhub 215 Digital	Drum	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------
		Toner	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------
2	Konica Minolta Bizhub 211 Digital	Drum	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------
		Toner	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------
3	Xerox India Limited Model- 5022/5024	Drum	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------
		Toner	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------
4	Ricoh Photocopy Machine Model IM 2702 (Multifunction Printer)	Drum	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------
		Toner	Rs---------------	Rs---------------	Rs---------------

नोट:— उपरोक्त दरें जी.एस.टी. रहित (जी.एस.टी. छोड़कर) एक वर्ष के लिये दी गई हैं। जी.एस.टी. नियमानुसार देयक में पृथक से लगाया जायेगा।

1 . हस्ताक्षर ....

2. फर्म का पूरा नाम ....
....

3. फर्म का पूर्ण पता ....
....

4. जी.एस.टी. नम्बर..

5. मोबाईल नम्बर ....